WTO Negotiations

1461. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKER MUKHERJEE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in World Trade Organisation negotiations of Financial Services and Insurance settlement could not be reached mainly because many of the industrial countries apart from the third world countries did not agree to open up their Insurance Industry and negotiaitons have been postponed to the year 2000; and

(b) if so, the reasons for Government to open up its Insurance market unilaterally denying itself an important bargaining chip?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Negotiations on Financial Services were concluded in December, 1997 in World Trade Organisation when many countries made varying level of commitments in different areas of Financial Services including Insurance. Apart from India, three other countries namely, Myanmar, North Korea and Cuba have not opened up their Insurance sector. Year 2000 negotiations are in-built in the General Agreement on Trade and Services and will be held in all services sectors including financial services.

Target set out for Disinvestment

1462. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the targets set out by Government for disinvestment in shares of public sector undertakings have become a mirage;

(b) if so, the details of targets and achievements as on date; and

(c) the details of steps taken or proposed to be taken to attain the targets?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) The targets set for disinvestment and actual realisation so far are as follows:—

Year	Target (Rs. in crores)	Realisation (Rs. in crores)
1991-92	2,500	3038
1992-93	2,500	1913
1993-94	3,500	Nil
1994-95	4,000	4843
1995-96	7,000	362
1996-97	5,000	380
1997-98	4,800	902
1998-99 (Till 20.2.99)	5,000	1200 (approx)

(c) The target of Rs. 5,000 crores set for the current year is likely to be achieved by the end of March, 1999.

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गये मामलों पर विचार करने में देरी

1463. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान रुग्ण घोषित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास विचारार्थ भेजे गये ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों पर विचार करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) अत्यधिक देरी को टालने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एन० आर० जनार्दनन): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों (दिनांक 1.1.1997 से 31.12.1998 तक) के दौरान रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सीका) के प्रावधानों के तहत बाइफर में सरकारी क्षेत्र 16 रुग्ण उपक्रम 8 केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पंजीकृत थे। राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) बाइफर में पंजीकृत मामलों पर सीका के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है और जहां कहीं व्यवहार्य हों, पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं। मामलों के निपटान में विलम्ब कई कारणों से होता है, जैसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विचारों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, बाइफर आदेशों के विरुद्ध अपील एवं रिट दायर करना और वर्ष 1996 से बाइफर में कर्मचारियों की संख्या कम किया जाना। सरकार औद्योगिक रुग्णता से निपटने को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीका की पुनरीक्षा कर रही है।

विवरण

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

सरकार क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों की सूची (लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य	कम्पनी	आदेश की तारीख	निवल आस्तियां	संचित हानि	कर्मचारी	स्थिति
केन्द्र							
1.	आंध्र प्रदेश	प्रागा टूल्स लि०		1570	9067	1521	जांच के अधीन
2.	मध्य प्रदेश	नेपा लि०		7124	9415	1547	जांच के अधीन
3.	महाराष्ट्र	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिकलि०		4165	8317	2276	जांच के अधीन
4.	मनिपुर	मनिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फर्मास्युटिकल्स	17.11.97	85	118	50	रखने योग्य नहीं
5.	त्रिपुरा	नार्थ ईस्टर्न रीजनल मार्केटिंग कार्पो० लि०		269	1274	87	जांच के अधीन
6.	उत्तर प्रदेश	भारत इम्यून्योलाजिकल एंड बायोलाजिकल कार्पो०	2.4.97	189	531	77	रखने योग्य नहीं
		भारत इम्यून्योलाजिकल कार्पोरेशन		2165	2166	100	जांच के अधीन
7.	पश्चिम बंगाल	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०	1.6.98	104831	118671	132787	बंद किया गया (एन/डब्ल्यू(+)
		योग		120398	149559	138445	
राज्य							
1.	गोवा	गोवा एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	15.7.98	155	233	86	योजना मंजूर
2.	कर्नाटक	कर्नाटक टेलिकाम लि०	25.1.99	326	886	139	परिसमापन की सिफारिश
3.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य तेलहन कामर्शियल		0	0	160	जांच के अधीन

क्र॰ सं॰	राज्य	कम्पनी	आदेश की तारीख	निवल आस्ति	संचित हानि	कर्मचारी स्थिति
4.	मेघालय	नागालैंड पेपर एंड बल्प कम्पनी लि॰	12020	13876	575	जांच के अधीन
5.	उड़ीसा	इडकोल पाइपिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लि॰	700	4246	79	जांच के अधीन
		इडकोल सीमेंट लि॰	8850	13654	1025	
6.	पंजाब	इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम पंजाब लि॰	213	2376	361	जांच के अधीन
7.	उत्तर प्रदेश	छाता सुगर कम्प॰ लि॰	609	1517	682	जांच के अधीन
		योग	**22873**	**36788**	**3107**	

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लिये गये ऋण

1464. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि बैंक/वित्तीय संस्थान एक नीतिगत मामले के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों के सामान्य शेयरों में निवेश करते है या उन्हें ऋण उपलब्ध कराते है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप की सभी कंपनियों में ऋणों और सामान्य शेयरों के रूप में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप की कंपनियों द्वारा समय-समय पर लिये गये तात्कालिक ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे ऋणों का भुगतान न की गई राशि की संस्था-वार/बैंक-वार स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई 5430 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता रिलायंस ग्रुप कंपनियों के पास बकाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों द्वारा नियमित प्रतिष्ठानों को मंजूर की गई ऋण सुविधाओं से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करना छोड़ दिया है।

(ग) से (ङ) रिलायंस ग्रुप के पास वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कोई तात्कालिक ऋण बकाया नहीं है।

Rate of interest charged from priority sector debtors

1465. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of savings in the Saving Bank Accounts with different Nationalised Banks, Post Offices,